हुक्म		की
12/06/23	वकीलान फरीकैन गैरहाजिर। वकील वादी व वादी को अवाज दिलाई गयी। काफी अवाज दिलाने के बावजूद न्यायालय समय तक हाजिर नहीं होने के कारण वादी अदम हाजरी खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर के कक्ष हो।	

उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ